

- IT Manager  
निर्देशन सहित  
आज ही  
30/09/13  
प्लान करके  
करें


आज दिनांक-28.09.2013 को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में जाँच चौकी पर वे-ब्रीज स्थापना संबंधी बैठक की कार्यवाही ।

दिनांक 28.09.2013 को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के कार्यालय कक्ष में जाँच चौकियों पर वे-ब्रीज के स्थापना हेतु मोड निर्धारण एवं प्रक्रिया से संबंधित बैठक प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी ।  
उपस्थिति के अनुसार

इस बैठक में जाँच चौकियों पर वे-ब्रीज के अधिष्ठापन से संबंधित निम्न निर्णय लिये गये:-

- 1- जाँच चौकियों पर वे-ब्रीज का अधिष्ठापन सरकारी स्तर पर किये जायेंगे । पी0पी0पी0 मोड पर नहीं करने का निर्णय लिया गया ।
- 2- प्रत्येक वे-ब्रीज 100 टन वजन मापन क्षमता का कम्प्यूटराजेशन (आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली) का होगा ।
- 3- वे-ब्रीज का अधिष्ठापन एवं संधारण चयनित फर्म/कम्पनी के द्वारा होगा जिसका संचालन सरकारी तौर पर नियोजित कर्मों के द्वारा किया जायेगा ।
- 4- चयनित फर्म/कम्पनी के द्वारा पूर्ण अधिष्ठापन से आगामी 5 वर्ष तक वे-ब्रीज का संधारण एवं माप तौल विभाग से सत्यापन संबंधित सभी औपचारिकताएँ पूरी करेगा
- 5- माप-तौल विभाग के प्रतिनिधि वे-ब्रीज से संबंधित सभी विशिष्टियों का मानक तैयार कर प्रस्तुत करेंगे ।
- 6- जाँच चौकियों पर स्टेटिक वे-ब्रीज का स्थापना किया जायेगा ।
- 7- वे-ब्रीज हेतु जाँच चौकियों में कितनी आवश्यकता होगी, इसके संबंध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया जायगा ।
- 8- निविदा का प्रारूप, शर्त, एवं प्रक्रिया तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 9- तत्काल पाईलेट प्रोजेक्ट के तौर पर एक स्थान पर अधिष्ठापित किया जाय ।
- 10- वे-ब्रीज अधिष्ठापन हेतु राशि की उपलब्धता समेकित जाँच चौकी प्राधिकार से प्राप्त की जायेगी ।

बैठक की अगली तिथि 3 अक्टूबर 2013 के 4.30 पी.एम. अपर परिवहन आयुक्त के कार्यालय कक्ष में होगी ।

  
28/09/13